न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2017

करनैल सिंह पुत्र सुरैण सिंह जाति रायसिख निवासी गोविन्दगढ़(माझीवाला) तहसील श्रीकरणपुर हाल चक 60 जी.बी. अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान।

——रैस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ दिनांक 30.06.1982

उपस्थिति :-
श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12/12/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 04.07.1981 से अपीलांट का चक 8 के.डब्ल्यू.एस.एम. के मु.नं. 213/23 के कि.नं. 1 से 25 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन दिनांक 30.06.1982 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के पश्चात भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधी. न्यायालय द्वारा आदेश में अंकित किया है कि स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई थी। ऐसे कोई समाचार पत्र की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

शपथ पत्र पेश कर दिया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विकल्प में वैकल्पिक आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध अपील दिनांक 05.06.2017 को लगभग 35 वर्ष विलम्ब से पेश की है। उक्त 35 वर्ष तक अपीलांट ने अपने प्रकरण में क्या कार्यवाही की ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। इसके अलावा अपीलांट द्वारा आवंटन के पश्चात कब्जा प्राप्त नहीं करने से आवंटन खारिज करने में अधी. न्यायालय ने कोई भूल नहीं की। अतः अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 05.06.2017 को लगभग 35 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र में अपीलाधीन आदेश किस तारीख हुआ एवं किससे हुआ कोई उल्लेख नही किया है एवं प्रा.पत्र में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि किसी देवीलाल नामक व्यक्ति को आवंटन हो चुकी है। देवीलाल को हुए आवंटन को अपीलांट द्वारा चुनौती दिया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा उक्त 35 वर्ष तक अपने प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी बाबत कोई प्रयास किया हो या किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर कोई प्रा.पत्र पेश किया हो ऐसा कोई कथन या दस्तावेजी साक्ष्य अपील में पेश नहीं किया है। अपीलांट को अपने आवेदन व उसके तहत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। यदि अपीलांट अपने आपको सदभावी कृषक मानता है व उसे अपने जीवनयापन के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता थी तो वह अपने इतने वर्षों तक इस तथाकथित भूमि आवंटन की जानकारी प्राप्त न करे, किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 35 वर्ष के विलम्ब को माफ किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा विवादित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित हो जाना अपीलांट ने कथन किया है। फलस्वरूप अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी

मियाद के बिन्दु पर एवं विवादित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित हो जाने पर स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12/12/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर